<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1411

07 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात का पाटन

1411. श्री संजय सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस्पात के पाटन तथा बाजार में स्वार्थ चालित मूल्यों पर रोक लगाने के लिए किन्हीं कदमों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (ग): सरकार इस्पात उत्पादों के स्वतंत्र व्यापार में कोई दखल नहीं देती है। तथापि, भारत सरकार देशीय इस्पात क्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए एक सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए व्यापार के सुधारात्मक उपाय करती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यापारिक उपाय किए गए हैं:-

क्र.सं.	**उत्पाद**	**व्यापार राहत उपाय**	**अधिसूचना की तारीख**
1.	कुछ ग्रेडों और उत्पादों को छोड़कर, स्टेनलेस स्टील के 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले सभी सीरीज़ के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो 4एमएम तक की मोटाई वाले कोल्ड-रोल्ड (कोल्ड रिड्यूज्ड) हों।	एंटी-डंपिंग	24 अक्टूबर, 2017
2.	अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (71 टैरिफ लाईनें)	एंटी-डंपिंग	11 मई, 2017
3.	अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पाद (36 टैरिफ लाईनें)	एंटी-डंपिंग	12 मई, 2017
4.	अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील वायर रॉड (15 टैरिफ लाईनें)	एंटी-डंपिंग	30 अगस्त, 2017
5.	अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के कलर कोटिड/प्रि-पेंटिड फ्लैट उत्पाद (2 टैरिफ लाईनें)	एंटी-डंपिंग	30 अगस्त, 2017
6.	सभी ग्रेडों/सीरिज़ के हॉट-रोल्ड तथा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पाद; भले ही वे प्लेट हों, शीटें हों, अथवा क्वॉयल रूप में अथवा अन्य किसी भी आकार, किसी भी चौड़ाई, हॉट-रोल्ड क्वॉयल्स के मामले में 1.2 एमएम से 10.5 एमएम तक की किसी भी मोटाई के हों अथवा न हो; हॉट-रोल्ड प्लेटों एवं शीटों के मामले में 3एमएम से 105 एमएम; और कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के मामलों में 6.75 एमएम तक के हों; खासकर रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील को छोड़कर।	प्रतिकारी शुल्क	07 सितम्बर, 2017

*****